निशुल्क प्रकाशन हेतु

राजस्थान सरकार

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रेस विज्ञप्ति

विषय :– अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से सत्र 2013–14 हेतु छात्रवृति योजना के आवेदन फार्म जमा कराने की अन्तिम तिथि में अभिवृद्वि।

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक एफ23(34) लेखा/निकाशि/छात्रवृति/2013–14/1300–1310 दिनांक 02.07.2013 द्वारा सत्र 2013–14 हेतु निम्नांकित छात्रवृतियों के आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 26.07.2013 रखी गई थी जिसमें निम्नानुसार अभिवृद्धि की जाती है।

क. स.	नाम छात्रवृति	महाविद्यालय/विद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निदेशालय में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1.	आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृति	06.09.2013 तक	09.09.2013
2.	महिला योग्यता छात्रवृति	06.09.2013 तक	09.09.2013
3.	उर्दू छात्रवृति	06.09.2013 तक	09.09.2013
4.	राजनैतिक पीडितो/ स्वतंन्त्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृति	06.09.2013 तक	09.09.2013
5.	मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृति	06.09.2013 तक	09.09.2013
6.	भारत पाक व चीन युद्ध में मृतक/अपंग सैनिकों के बच्चों/उनकी विधवाओं को छात्रवृति	06.09.2013 तक	09.09.2013
7.	ललित कला छात्रवृति (स्कूल ऑफ आर्टस /संगीत संस्थान)	06.09.2013 तक	09.09.2013
8.	राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति	06.09.2013 तक	09.09.2013
9.	कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति	06.09.2013 तक	09.09.2013

अंतिम तिथि पश्चात् एंव अपूर्ण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किये जायेगें।

(नवीन जैन)
निदेशक

कमांक: एफ23(34) लेखा/निकाशि/छात्रवृति/ 2013–14/1432–1442 दिनांक 26/8/2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को आठ प्रतियों सहित भेजकर अनुरोध है कि कृपया इसका निशुल्क प्रकाशन, राजस्थान के सभी समाचार पत्रों में करवाने की व्यवस्था करावें ।
2. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है ।
3. निदेशक, आकाशवाणी, जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, अकादमी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रवेश नीति वर्ष 2013–14 में उक्तानुसार संशोधन कराने का श्रम करावें ।
6. संपादक, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि कृपया उक्त विज्ञाप्ति के अनुसार आपके राजस्थान के समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन करावें ।
7. समस्त प्राचार्य, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय, राजस्थान, प्राचार्य संगीत संस्थान/ राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर ।
8. सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर को भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों को कार्यक्रम से सूचित करावें ।
9. समस्त विश्वविद्यालय राजस्थान, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, निवाई टोंक को अपने अधीनस्थ विभागों एवं महाविद्यालयों को सूचित कराने बाबत प्रेषित है ।
10. वेबसाईट अनुभाग को अपलोड करने हेतु ।

(डॉ.सी.एम. खटीक)
संयुक्त निदेशक (छात्रवृति)